झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य/1009/2018— .... /राँची, दिनांक ....

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से औपचारिक रूप से परामर्शित

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०—हिनू, राँची।

द्वारा :— **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :— **पलामू जिलान्तर्गत बतरे वीयर सिंचाई योजना के झारखण्ड राज्य में पड़ने वाले अवयवों के जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहर के लाइनिंग कार्य हेतु कुल रू० 17.47 करोड़ (रूपये सत्रह करोड़ सैंतालीस लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश—स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर प्रक्षेत्राधीन पलामू जिला अंतर्गत बतरे वीयर सिंचाई योजना के झारखण्ड राज्य में पड़ने वाले अवयवों के जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहर के लाइनिंग कार्य हेतु कुल रू० 17.47 करोड़ (रूपये सत्रह करोड़ सैंतालीस लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. बतरे वीयर सिंचाई योजना से एक मुख्य नहर निकलती है, जिसकी कुल लम्बाई 13.872 कि०मी० है (कि०मी० 0.00 से कि०मी० 6.524 तक झारखण्ड राज्य में एवं शेष भाग बिहार राज्य में)। इसके अन्तर्गत एक Escape नहर निकलती है, जिसकी लम्बाई 3.78 कि०मी० एवं अररूआ माइनर जिसकी लम्बाई 3.795 कि०मी० है। इसके मुख्य नहर के चेन सं०— 244 से गोडिहा वितरणी निकलती है, जो बिहार राज्य में पड़ता है।

4. इस योजना की सिंचाई क्षमता 2880 हे० खरीफ एवं 320 हे० रब्बी, कुल 3200 हे० है, जिसमें 1120 हे० (1008 हे० खरीफ एवं 112 हे० रब्बी) झारखण्ड राज्य एवं 2080 हे० (1872 हे० खरीफ एवं 208 हे० रब्बी) बिहार राज्य में है।

5. इसके अन्तर्गत निम्नांकित कार्य कराये जायेगें, जो झारखण्ड राज्य में पड़ते है —

i) बतरे वीयर सिंचाई योजना के मुख्य नहर के कि०मी० 0.00 से 6.524 कि०मी० तक पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य।

ii) इसके Escape Channel के कि०मी० 0.00 से 3.78 कि०मी० तक पुनर्स्थापन कार्य।

iii) इसके अररूआ माइनर के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 3.795 कि०मी० तक पुनर्स्थापन कार्य।

iv) योजना अन्तर्गत विभिन्न संरचनाओं यथा— Head / Cross Regulator, Falls, SLR/DLR Bridges एवं Outlets का मरम्मति/निर्माण कार्य।

v) बतरे वीयर का पुनर्स्थापन कार्य।

vi) योजना अन्तर्गत विभिन्न गेटों के निर्माण हेतु यांत्रिक कार्य।

कराये जाने वाले कार्य का अवयववार विवरण निम्नवत् है –

Sl. No	Sub-Head		Cost (in Lacs Rs.) Price Level - 2018
	I-Works		
1.	A- Preliminary - Survey for preparation of Project Report.		4.00
2.	C-Works – Renovation of Batre Weir		9.186
3	D-Regulators - A. Civil Work – i) Const. of C/R at 1200 m of escape canal ex ch 172 of Batre Weir canal B. Mechanical Work – i) Renovation of gates of Batre weir canal	1 No.	12.525 13.692
4.	E- Falls - i) Const. of fall in weir canal ii) Const. of fall in escape canal iii) Const. of falls in Ararua minor canal	1 No. 3 No. 6 No.	91.203
5.	G- Bridges – i) Const. of SLR bridge of weir canal ii) Const. of DLR bridge of weir canal iii) Const. of SLR bridge of escape canal vi) Const. of SLR bridge of Ararua minor	1 No. 1 No. 2 No. 3 No.	95.398
6.	L- E/W A i) Earthwork of Batre weir canal (Jharkhand Portion) from km 0.00 to km6.524 ii) Earthwork of escape canal from km 0.00 to km 3.78 iii) Earthwork of Ararua minor from km 0.00 to km 3.795 L- E/W B i) Lining of Batre weir canal from km 0.00 to km 6.524		230.941 1157.755
7.	O- Miscellaneous Technical report photography		1.0
8.	P-Maintenance-1% of I works (Less A&O)		17.120
9.	V-Water course A- Civil work i) Const. of outlets in Batre weir canal ii) Const. of outlets in escape canal ii) Const. of outlets in Ararua Minor B- Mechanical work i) Fabrication and Erection of Irrigation new outlet gates of Batre weir scheme	14 Nos. 20 Nos. 26 Nos. 60 Nos.	50.667 50.552
10.	Y- Losses of stock (0.25% if I-works)		4.280
		Total of I-works	**1738.319**
		Add ½ % CNC	**8.691**
		Total Rs.	**1747.010**

6. इस पुनरूद्धार कार्य के उपरान्त 533 हे० खरीफ एवं 112 हे० रब्बी, कुल 645 हे० ह्रासित सिंचाई क्षमता पुनर्बहाल हो सकेगा।

7. यह कार्य वर्ष 2018–19 में प्रारम्भ कर वर्ष 2020–21 में पूर्ण कर लिया जायेगा। वर्षवार व्यय निम्नवत् प्रस्तावित है –

वर्ष 2018–19 – रू० 160.00 लाख
वर्ष 2019–20 – रू० 800.00 लाख
वर्ष 2020–21 – रू० 787.01 लाख

कुल – रू० 1747.01 लाख

8. कार्य कराने के पूर्व असम्बद्ध प्रमण्डल द्वारा प्रि–लेवल एवं मापी एवं प्रस्तावित कार्य की मात्रा की जाँच करा ली जाएगी।

9. पुनर्स्थापन कार्य के पूर्व एवं कार्य कराने के बाद कार्य स्थल का स्टील फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी करा ली जायेगी।

10. इस योजना के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। निर्माण सामग्रियों के ढुलाई की दूरी (lead) सामग्री उपलब्धता के अनुसार न्यूनतम रखा जाय, जिसे अधीक्षण अभियंता जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे।

11. इस योजना पर होने वाला व्यय

मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य लघु शीर्ष –800–अन्य व्यय, उपशीर्ष–54–सिंचाई योजना का ई०आर०एम० विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा। (विपत्र कोड – 4701–80–800–54–05–45)

12. इस योजना के असैनिक कार्य रूपांकण प्रमण्डल सं०–1, मेदिनीनगर द्वारा कराया जायेगा। असैनिक कार्यों हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, रूपांकण प्रमण्डल सं०–1, मेदिनीनगर होगें तथा मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

13. इस योजना के यांत्रिक कार्य सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, मंडल लातेहार, शिविर मेदिनीनगर द्वारा कराया जायेगा। यांत्रिक कार्यों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक प्रमण्डल, मंडल लातेहार, शिविर मेदिनीनगर होंगे एवं मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

14. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

15. कार्य के लिये राशि की निकासी पलामू कोषागार, पलामू से की जायेगी।

16. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

17. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०–2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

18. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

19. प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृति समिति एवं योजना –सह– वित्त मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

20. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

21. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह० / –

(अरूण कुमार सिंह)

सरकार के अपर मुख्य सचिव

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य/1009/2018— .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना —सह— वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य/1009/2018— .... /राँची, दिनांक ....

प्रतिलिपि :— कोषागार पदाधिकारी, पलामू कोषागार, पलामू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/—
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य/1009/2018— 47/18-19 प० खी० /राँची, दिनांक 04.01.2019

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख—I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल—1, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, औरंगा निर्माण अंचल, मेदिनीनगर/कार्यपालक अभियंता, रूपांकण प्रमण्डल सं०—1, मेदिनीनगर/ कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, मंडल लातेहार, शिविर मेदिनीनगर/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०—3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी—7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/01/2019
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)